भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(पीएंडए)।।-2017/आरएस-07

नर्ड दिल्ली, दिनांक 20.12.2017

महाप्रबंधक (पी), दक्षिण रेलवे, चेन्नै.

> विषय: जुनियर इंजीनियर (जेई) के पद के लिए जीडीसीई के अंतर्गत चयनित रनिंग स्टाफ को वेतन/मजूरी और अन्य भत्ते जैसे कि एएलकेएम/टीए आदि की ग्राहयता।

संदर्भ: रेलवे के दिनांक 29-08-2016 एवं 23-02-2017 का पत्र सं. पी(एस) 353/IV/पीजीटी डीएन कोर्ट केसेज़

++++++

दक्षिण रेलवे ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रनिंग स्टाफ का जीडीसीई के अंतर्गत आने वाले नॉन-रनिंग पद के लिए चयन होने पर और बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 के पैरा 2(ग)(i) के अनुसार, जिसने वेतन तथा अत्ते लेने के लिए विकल्प दिया था, 30% वेतन तत्व के भ्गतान के लिए पात्र होगा अथवा नहीं होगा।

- बोर्ड कार्यालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग स्टाफ का जीडीसीई के अंतर्गत आने वाले नॉन-रिनंग पद के लिए चयन होने पर और बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 के पैरा 2(ग)(i) के अनुसार, जिसने वेतन तथा भत्ते लेने के लिए विकल्प दिया है, वह निम्नलिखित कारणों से किसी प्रयोजन के लिए 30% वेतन तत्व के भगतान के लिए पात्र नहीं है:
 - ऐसे अप्रेंटिस अब रनिंग स्टाफ नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने रनिंग इयूटी का कार्य निष्पादन बंद कर दिया है। (i) बोर्ड के दिनांक 15.09.2006 के पत्र सं. ई(पीएंडए)।।-2004/आरएस-28 के तहत, ऐसे रनिंग स्टाफ, जिन्होंने जीडीसीई योजना के अंतर्गत रिक्तियों के तहत चयन के लिए स्वैच्छिक विकल्प दिया है, के वेतन निर्धारण के लिए वेतन तत्व को शामिल न करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है। इसलिए वेतन के अंश को किसी अन्य लाभ के लिए शामिल नहीं किया जा सकता।
 - बोर्ड के दिनांक 17.04.2006 के पत्र सं. पीसी-IV/2006/मिस./5 (आरबीई सं. 48/2006) का पैरा 2(ग)(i) में (ii) संगत नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रनिंग स्टाफ को प्रशिक्षण पर भेजे जाने से पूर्व धारित पद में उनके मूल संवर्ग वेतन के आधार पर सभी भत्तों और स्विधाओं (टीए/डीए और पीएलबी सहित) की ग्राहयता का उल्लेख है। बहरहाल, वेतन का अंश, मूल वेतन का भाग नहीं है जैसा कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द ।। के नियम 1309 में परिभाषित है।
- इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रेंटिस अब से रनिंग स्टाफ नहीं होंगे और इसलिए वे भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द ।।/2005 के नियम 1685 एवं 1686 के अन्सार टीए/डीए के लिए पात्र हैं, जैसा सेवारत रेलवे कर्मचारियों में से चयनित अप्रेंटिस के मामले में अन्मेय होता है।

मो सतीम अरमढ

(सलीम मो. अहमद) उप निदेशक/ई(पीएंडए)-।।

रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपिः महाप्रबंधक (पी), सभी क्षेत्रीय रेलें, दक्षिण रेलवे को छोड़कर।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)II-2017/RS-07

New Delhi, dated: 20.12.2017

The General Manager (P), Southern Railway, Chennai.

Sub:- Admissibility of pay/stipend and other allowances such as ALKM/TA etc. to the Running Staff selected under GDCE for the post of JEs.

Ref: Railway letter No. P(S) 353/IV/PGT Dn. Court Cases dated 29-08-2016 & 23-02-2017.

++++

Southern Railway had sought clarification whether running staff, on selection to a non-running post under GDCE and who had opted for drawing of pay and allowances in accordance to paragraph 2(c)(i) of Board's letter no. PC-IV/2006/Mics./5 dt. 17.04.2006 would be eligible for payment of 30% pay element or not.

- 2. The issue has been considered in Board's office and it is clarified that a running staff on selection to a non-running post under GDCE and who has opted for drawing of pay and allowances in accordance to paragraph 2(c)(i) of Board's letter No. PC-IV/2006/Misc./5 dated 17-04-2006 would not be eligible for reckoning of 30% pay element for any purpose due to the following reasons:
 - (i) Such apprentices are no longer running staff as they discontinue performing running duties. A decision has already been taken vide Board's letter no. E(P&A)II-2004/RS-28 dt. 15.09.2006 for not reckoning of pay element for pay fixation to the running staff who voluntarily opt for selection against the vacancies under the GDCE scheme, therefore the pay element cannot be considered for reckoning for any other benefit.
 - (ii) Paragraph 2(c)(i) of Board's letter no. PC-IV/2006/Mics./5 dt. 17.04.2006 (RBE No. 48/2006) provides for admissibility of all the allowances and privileges (including TA/DA and PLB) on the basis of their substantive cadre pay of the post held before being sent on training as per the provisions of relevant rules. However, pay element is not a part of substantive pay as defined in Rule 1309 of the Indian Railway Establishment Code Volume II.
- 3. Further, it is clarified that the apprentices are no longer running staff and they will therefore be eligible for TA/DA as per Rule1685 & 1686 of IREC-Vol.II/2005 admissible as in the case of other apprentices selected from amongst serving Railway employees.

-wd. Salin Ahmel.

(Salim Md. Ahmed) Deputy Director, E(P&A)-II Railway Board

Copy to: GM(P) all Indian zonal railways except SR.